

(21)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक

/ 2014 नि.अ. 2503-II/14

आवेदक का नाम
प्रतिदि 8-8-14 को

सुखदेव पिता रामसुन्दर कलार निवासी
ग्राम झारा तहसील सरई जिला
सिंगरौली म.प्र.

फा. कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

..... आवेदक

बनाम

कविता

1. कविता पत्नी संतोष जायसवाल
2. धर्मेन्द्र पिता संतोष जायसवाल
3. दिलीप पिता मोहनलाल जायसवाल
निवासी ग्राम झारा तहसील सरई जिला
सिंगरौली
4. बाल्मीक पिता मुकुटधारी जायसवाल
निवासी ग्राम इटमा तहसील सरई जिला
सिंगरौली
पूरन कलार पिता लालमन (फौत द्वारा
वारिसान)
5. छोटेलाल पुत्र पूरन
6. राहुल पुत्र पूरन अवयस्क द्वारा सरपरस्त
माँ लल्ली पत्नी पूरन
7. लल्ली पत्नी पूरन कलार निवासी ग्राम
झारा तहसील सरई जिला सिंगरौली
8. म.प्र. शासन

.....अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 (1) म.प्र. भू राजस्व संहिता न्यायालय
तहसीलदार तहसील सरई जिला सिंगरौली द्वारा प्रकरण क्रमांक
27/ अ-6अ/ 2013-14 में पारित आदेश दिनांक 08.07.2014
एवं 10.07.2014 के विरुद्ध निगरानी ।




XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2503-दो/14

जिला - सिंगरौली

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05/04/2019	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर.एस. सेंगर उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार सरई के प्रकरण क्र. 27/अ-6-अ/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 08.07.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 20.06.2019 को कलेक्टर, जिला सिंगरौली के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;"> (बी.एम. शर्मा) सदस्य</p>	